अनुदान संख्या 82 – ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 82 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPEMNT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	170436,63,00	178831,28,00	178596,81,36	-234,46,64
पूरक	Supplementary	8394,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				462,24,21
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		5,25,00	..	-5,25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹46224.21 लाख) ₹23446.64 लाख कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹46224.21 lakhs) exceeded the overall savings of ₹23446.64 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4245.00	4115.62	4114.97	-0.65
पु.	R.	-129.38			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2216”	Major Head “2216”				
आवास	Housing				
मू.	O.	52250.00			
पू.	S.	2.00	1661.84	1659.85	-1.99
पु.	R.	-50590.16			
मुख्य शीर्ष “2235”	Major Head “2235”				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	3247.00			
पू.	S.	1.00	1640.74	1506.49	-134.25
पु.	R.	-1607.26			
मुख्य शीर्ष “2501”	Major Head “2501”				
विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	96120.00			
पू.	S.	1.00	76458.10	76395.74	-62.36
पु.	R.	-19662.90			
मुख्य शीर्ष “2505”	Major Head “2505”				
ग्रामीण विकास	Rural Employment				
मू.	O.	8102527.00			
पू.	S.	839458.00	9026951.67	9263556.49	+236604.82
पु.	R.	84966.67			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	48325.00			
पू.	S.	1.00	36856.50	36767.52	-88.98
पु.	R.	-11469.50			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	546173.00			
			..	..	..
पु.	R.	-546173.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें और सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	1703951.00			
पू.	S.	1.00	1703678.51	1490140.50	-213538.01
पु.	R.	-273.49			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	6474191.00			
पू.	S.	1.00	6977541.78	6977540.77	-1.01
पु.	R.	503349.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	12634.00	7999.03	7999.03	..
पु.	R.	-4634.97			

(I) ₹590495.00 लाख का प्रावधान बीस शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹590473.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹590495.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty heads; of these ₹590473.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – ब्याज सहायिकी" – ₹38400.00 लाख –. कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2216" - "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Interest Subsidy" - ₹38400.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the implementing agency.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – सामाजिक जांच और शिकायत निवारण प्रणाली" – ₹5000.00 लाख – राज्य सरकारों और सामाजिक जांच प्रकोष्ठ से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme - Social Audit and Grievance Redressal System" - ₹5000.00 lakhs - due to non-receipt of proposal from Social Audit Cells and the State Governments.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(C) Major Head "2552" -

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹500.00 लाख;

(a) "Other Rural Development Programme - Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹500.00 lakhs;

(ख) "स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹23280.00 लाख;

(b) "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" - ₹23280.00 lakhs;

(ग) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम संघटक" – ₹170000.00 लाख;

(घ) "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹95000.00 लाख;

(ङ) "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹92000.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹81420.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹9773.00 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹56580.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹7077.00 लाख;

(ज) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – अन्य व्यय" –

(i) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला योजना प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण को प्रबंधन सहायता" – ₹2500.00 लाख; और

(ii) "रूरबन मिशन" – ₹7241.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का

(c) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component"-₹170000.00 lakhs;

(d) "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme"-₹95000.00 lakhs;

(e) "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana" - ₹92000.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Indira Awaas Yojana"- ₹81420.00 lakhs;

(ii) "National Rural Livelihood Mission"- ₹9773.00 lakhs;

(g) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Indira Awaas Yojana"- ₹56580.00 lakhs;

(ii) "National Rural Livelihood Mission"- ₹7077.00 lakhs;

(h) "Other Rural Development Programmes - Other Expenditure" -

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process" - ₹2500.00 lakhs; and

(ii) "RURBAN Mission" - ₹7241.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on

पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "बीपीएल सर्वे" – ₹802.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(iii) "BPL Survey" - ₹802.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(क) "केन्द्रीय सहायता/शेयर" –

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹160.00 लाख;

(i) "Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - ₹160.00 lakhs;

(ii) "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹500.00 लाख; और

(ii) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - ₹500.00 lakhs; and

(ख) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹240.00 लाख।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural" - ₹240.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावो की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – ग्रामीण विकास विभाग" के अंतर्गत ₹130.03 लाख की बचत (₹4245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Rural Development" - saving of ₹130.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4245.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2216" – "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना–कार्यक्रम संघटक" ₹12119.01 लाख की बचत (जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13492.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2216" - "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaaas Yojana - Programme Component" - saving of ₹12119.01 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13492.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रित कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹1741.51 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3248.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, डीएवीपी द्वारा विज्ञापन और प्रचार संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान मे कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - saving of ₹1741.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3248.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to receipt of less proposals from the State/Union Territory Governments, requirement of less funds towards advertising and publicity by DAVP and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्वरोजगार कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme" - savings occurred under the following heads:-

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" –

(a) "National Rural Livelihood Mission" -

(i) "आजीविका – कार्यक्रम संघटक" – ₹15679.95 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹78271.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं का क्रियान्वयन न किए जाने, कम अध्येतावृत्ति होने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(i) "Aajeevika - Programme Component" - saving of ₹15679.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹78271.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to non-execution of projects, less fellowships and receipt of less proposals from the State/Union Territory Governments.

(ii) "आजीविका – ईएपी संघटक" – ₹1655.16 लाख की बचत (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ii) "Aajeevika - EAP Component" - saving of ₹1655.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State/Union Territory Governments.

(iii) "प्रबंधन सहायता" – ₹542.16 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईसीटी प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, कार्य योजना को वर्ष योजना परियोजनाओं से कार्य योजना में परिवर्तित होने और कम प्रशिक्षण और सम्मेलनों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(iii) "Management Support" - saving of ₹542.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to receipt of less ICT proposals, transition from year plan projects to Action Plan and holding of less training and conferences.

(ख) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹662.03 लाख की बचत (₹3741.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आजीविका– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1185.96 लाख की बचत (₹2709.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) में हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम के स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में विलंब से परिवर्तित होने के कारण स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(क) "प्रबंधन प्रकोष्ठ" – ₹127.51 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलायी जा रही स्कीमों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹184.43 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और मीडिया अभियान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता" – ₹25925.45 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों/सेवाओं की कम अधिप्राप्ति किए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" -saving of ₹662.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3741.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" -saving of ₹1185.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2709.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of scheme owing to late transition from Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojna to National Rural Livelihood Mission.

(VI) Under Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Management Cell" - saving of ₹127.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards ongoing schemes by Union Territory of Andaman and Nicobar.

(b) "Information, Education and Communication" - saving of ₹184.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to receipt of less proposals from the State Governments and non-finalization of media campaign.

(c) "Capacity Building and Technical Support" - saving of ₹25925.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to less procurement of equipments/services and receipt of less proposals from the implementing agencies.

(घ) "सूचना संचार प्रौद्योगिकी" – ₹480.71 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ङ) "मजदूरी वितरण के लिए सेवा प्रभार" – ₹3225.32 लाख की बचत (₹46000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹511.72 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष "2515" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "लोक सहयोग – लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद को अनुदान" – ₹1181.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के विलय के प्रस्तावों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय – रूरबन मिशन" – ₹10856.00 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12110.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों को अंतर्गत हुईः–

(का) "जिला और अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – ईएपी संघटक" – ₹250.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Information Communication Technology" - saving of ₹480.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(e) "Service Charges for wage disbursement" - saving of ₹3225.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46000.00 lakhs); and

(f) "Expenditure in Union Territories without Legislature" - saving of ₹511.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies/Union Territory Governments.

(VII) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Public Co-operation - Grants to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology" - saving of ₹1181.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-completion of proposals of merger with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj.

(B) "Other Expenditure - RURBAN Mission" - saving of ₹10856.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12110.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017); and

(VIII) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - EAP Component" - saving of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण" – ₹213537.00 लाख की बचत (₹1699400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाई स्पीड डीजल पर उपकर के कम संग्रहण किए जाने की वजह से कम निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(B) "General - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Roads Fund" - saving of ₹213537.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1699400.00 lakhs) was due to less transfer of funds owing to less collection of cess on High Speed Diesel.

(IX) मुख्य शीर्ष "3601" – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IX) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(का) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन" – ₹23844.28 लाख की बचत (₹76980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - saving of ₹23844.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76980.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(खा) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹43013.50 लाख की बचत (₹1524949.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(B) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹43013.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1524949.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years and receipt of less proposals from the State Governments.

(X) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(X) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹130.54 लाख की बचत (₹444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹130.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹444.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years and receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(खा) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹647.77 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "National Social Assistance Programme" - saving of ₹647.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);

(गा) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" – ₹200.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत

(C) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - saving of ₹200.00

प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन" – ₹2735.00 लाख की बचत (₹3670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(XI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹235.62 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹393493.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹839459.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2505" – "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं अन्य को सहायता" – ₹120542.48 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" – "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹500.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" – ₹272450.92 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹272449.92 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(D) "Shyama Prasad Mukherjee RURBAN Mission" - saving of ₹2735.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3670.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.

(XI) Under three heads savings of ₹235.62 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 49 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹393493.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹839459.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme - National Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - ₹120542.48 lakhs.

(B) Major Head "2515" - "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹500.00 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share -Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - ₹272450.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹272449.92 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – आरक्षित निधियों का अंतरण – राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण” – ₹236674.58 लाख का अधिक व्यय (₹480000.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5280000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम निधियन के लिए स्थानान्तरण संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “केन्द्रीय सहायता / शेयर” –

(i) “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹104224.91 लाख का अधिक व्यय (₹858850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम” – ₹16810.77 लाख का अधिक व्यय (₹844753.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹19360.93 लाख का अधिक व्यय (₹148836.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” –

(i) “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹72414.29 लाख का अधिक व्यय (₹683400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹12370.94 लाख का अधिक व्यय

(A) Major Head “2505” - “Rural Employment Guarantee Scheme - Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Employment Guarantee Fund” - excess of ₹236674.58 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5280000.00 lakhs including supplementary grant of ₹480000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards transfer for funding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes”-

(a) “Central Assistance/Share”-

(i) “Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural” - excess of ₹104224.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹858850.00 lakhs);

(ii) “National Social Assistance Programme” - excess of ₹16810.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹844753.00 lakhs);

(iii) “National Rural Livelihood Mission” - excess of ₹19360.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹148836.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Pradhan Mantri Awaas Yojana - Rural” - excess of ₹72414.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹683400.00 lakhs);

(ii) “National Rural Livelihood Mission” - excess of ₹12370.94 lakhs (against the

(₹71195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(i) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – ग्रामीण" – ₹61580.00 लाख का अधिक व्यय (₹475100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹9349.02 लाख का अधिक व्यय (₹51555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

अधिक व्यय उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांग की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(घा) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1645.77 लाख का अधिक व्यय (₹41600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआः–

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

sanctioned provision of ₹71195.00 lakhs);

(c) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Rural" - excess of ₹61580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹475100.00 lakhs); and

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹9349.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51555.00 lakhs).

Excess under the above seven heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of additional demand from the State Governments.

(d) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹1645.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing schemes by the State Governments.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"					
सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	525.00		..	..	..
पु.	R.	-525.00				

(I) ₹525.00 लाख का प्रावधान एक मामले के अंतर्गत "कार्यालय निर्माण – निर्माण ग्रामीण विकास भवन" – केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास भवन के निर्माण कार्य को पूरा न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹525.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Office Buildings - Construction - Grameen Vikas Bhawan" - due to non-commencement of construction work of Grameen Vikas Bhawan by Central Public Works Department.

4. ***राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि:–***

4. ***National Rural Employment Guarantee Fund:-***

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2017–18 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Accounts of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तियां	Receipt	55166,74,58
अदायगियां	Payments	55166,74,58
अंतशेष	Closing Balance	-1